रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235497
CG-DL-E-05052022-235497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
No. 233] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

फा. सं. 4-1/2022(IC).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) की खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 11.07.2016 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) विनियम, 2016 का अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: -

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रवर्तन:-

1.1. इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियम, 2022 (इसके पश्चात् विनियमों कहा जाएगा) कहा जाएगा।

1.2. ये विनियम युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण करते हैं।

1.3. ये विनियम निम्न पर पर लागू होंगे-

1.3.1. उपाधि(यां) प्रदान करने के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करने के इच्छुक भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान; और

1.3.2. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करने के इच्छुक विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान।

1.4. ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:-

2.1. "अधिनियम" का अभिप्राय, समय-समय पर यथा-संशोधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 से है;

2.2. "शैक्षिक सहयोग" का अभिप्राय, एक लिखित करार के माध्यम से निम्नवत प्रयोजनार्थ, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) के बीच शैक्षिक साझेदारी से है;

2.2.1. युगल उपाधि कार्यक्रम

2.2.2. संयुक्त उपाधि कार्यक्रम;

2.2.3. दोहरी उपाधि कार्यक्रम;

2.3. एक विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान के संबंध में "मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी", का अभिप्राय किसी ऐसी एजेन्सी अथवा निकाय से है जिसे उस संस्थान के संबंधित देश में विधि के तहत स्थापित अथवा निगमित किसी प्राधिकरण अथवा उस देश में किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो, मान्यता प्रदान की गई हो अथवा जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों का मूल्यांकन, प्रत्यायन अथवा गुणवत्ता आश्वासन के प्रयोजनार्थ प्रत्यायन निकायों के वैश्विक नेटवर्क का सदस्य हो;

2.4. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान के संबंध में "मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी" का अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसियों की मान्यता एवं सर्वेक्षण) विनियम, 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एजेंसी से है;

2.5. "आयोग" का अभिप्राय, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

2.6. "परंपरागत पद्धतियों" का अभिप्राय, एक नियमित कक्षा परिवेश में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य सम्मुख पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से ज्ञान अर्जन का अवसर उपलब्ध कराए जाने की एक पद्धति से है, जो ऑनलाइन पद्धति के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थी हेतु पूरक शिक्षण, यदि कोई हो तो, को अपवर्जित नहीं करता है;

2.7. "'क्रेडिट' मान्यता और अंतरण" का अभिप्राय, किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा स्वयं अथवा किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान और अनुलोमत: द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किए गए किसी कार्यक्रम के लिए "'क्रेडिट'" संबंधी अपेक्षाओं हेतु मान्यता प्रदान किए जाने, परिमाणित किए जाने अथवा सम्मिलित किए जाने हेतु किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त "'क्रेडिट'" से है;

2.8. "उपाधि" का अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुरूप किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि और संबंधित देश के संगत नियमों और विनियमों के अनुसार किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि से है;

2.9. "विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अभिप्राय, विदेश में विधिवत रूप से स्थापित अथवा निगमित अथवा मान्यता प्राप्त किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान से है जो स्नातकपूर्व और/ अथवा उच्चतर स्तरों पर शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की पेशकश करता है;

2.10. इन विनियमों के प्रयोजनार्थ "फ्रेंचाइजिंग" का अभिप्राय और उसमें, मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान की ओर से अथवा उसके नाम से युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने अथवा संबंधित कार्यकलापों हेतु इन विनियमों के तहत मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अलावा किसी व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा संगठन को औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अनुमति प्रदान करना शामिल है, "फ्रेंचाईज" और "फ्रेंचाइजिंग" वाक्यांश का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;

2.11. "भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत किसी विश्वविद्यालय अथवा धारा 3 के तहत किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान से है;

2.12. "कार्यक्रम" का अभिप्राय, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल कार्यक्रमों सहित उपाधि प्रदान करने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों से है;

2.13. "सांविधिक निकाय" का अभिप्राय, विश्वविद्यालयों अथवा पेशेवर कार्यक्रम(मों) सहित अध्ययन कार्यक्रम(मों) में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को विनियमित करने, उनका समन्वय करने, उनका निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित अथवा निगमित निकाय से है, जिसके परिणामस्वरूप उपाधि(यां) प्राप्त की जाएं;

3. सहयोग संबंधी उपबंध:-

इन विनियमों के अंतर्गत भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग से निम्नलिखित शैक्षिक क्रियाकलाप किए जा सकेंगे: -

3.1. युगल कार्यक्रम

3.1.1. "युगल कार्यक्रम" एक सहयोगात्मक व्यवस्था होगी जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का अनुपालन करते हुए, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित छात्र आंशिक रूप से भारत में तथा आंशिक रूप से विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान में अपना अध्ययन कार्यक्रम कर सकते हैं।

3.1.2. इस प्रकार के युगल कार्यक्रमों के तहत प्रदान की जाने वाली उपाधि केवल भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी।

3.1.3. युगल कार्यक्रम के अंतर्गत, छात्रों द्वारा विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान में अर्जित "क्रेडिट" को भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि हेतु गिना जाएगा। तथापि, विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान से छात्रों द्वारा अर्जित "क्रेडिट", कार्यक्रम हेतु निर्धारित कुल 'क्रेडिटों' के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.1.4. भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थान से अर्जित किए जाने वाले 'क्रेडिट' और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' पारंपरिक पद्धतियों से प्राप्त किए जाएंगे।

3.1.5. प्रत्येक संस्थान अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिलेख जारी करेगा, जिसमें यह टिप्पणी होगी कि छात्र ने भागीदार संस्थान में कुछ मॉड्यूल, जहां कहीं लागू हों, किए हैं।

3.1.6. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान से छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' अतिव्यापी पाठ्यक्रम विषयवस्तु/पाठ्यचर्या से नहीं होंगे।

3.1.7. कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू, शुल्क (विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों सहित) को प्रवेश के समय सार्वजनिक किया जाएगा। शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो तथा यह किफायती हो।

3.1.8. इस प्रकार के युगल उपाधि कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली कोई भी उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के उपबंधों के अनुरूप होनी चाहिए और साथ ही यह संबंधित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा ऐसी उपाधि प्रदान करने के लिए यथा-निर्धारित मानकों, मानदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

3.1.9. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान, उन छात्रों के लिए निकास मार्ग की व्यवस्था करेंगे जो छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिटों' की भावी संस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट विनिर्देशों के साथ युगल कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

3.2. संयुक्त उपाधि कार्यक्रम

3.2.1. "संयुक्त उपाधि कार्यक्रम" के लिए, पाठ्यक्रम को सहयोगी भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा और कार्यक्रम के पूर्ण होने पर, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान और सहयोगी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा एकल प्रमाणपत्र के रूप में उपाधि प्रदान की जाएगी।

3.2.2 पेशकश किया जाने वाला कोई भी संयुक्त उपाधि कार्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) में विनिर्दिष्ट उपाधि के नाम और अवधि के अनुरूप होगा और इस प्रकार के उपाधि कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए न्यूनतम पात्रता और अन्य मानदंडों और मानकों के अनुरूप होगा।

3.2.3. छात्रों को प्रत्येक भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से कुल 'क्रेडिट' का कम से कम 30 प्रतिशत अर्जित करना होगा। भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थान से अर्जित किए जाने वाले 'क्रेडिट' और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

3.2.4.किसी संस्थान में पाठ्यक्रम(मों) के लिए अर्जित 'क्रेडिट' को दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाने वाली उपाधियों हेतु गिना जाएगा।

3.2.5. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' अतिव्यापी पाठ्यक्रम विषयवस्तु/ पाठ्यचर्या से नहीं होंगे; और जिस संस्थान में विद्यार्थी उक्त पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्र केवल एक परीक्षा देगा और मूल्यांकन प्रणाली से गुजरेगा।

3.2.6. डॉक्टोरल उपाधि कार्यक्रम के मामले में, प्रत्येक संस्थान में छात्रों के लिए शोध पर्यवेक्षक होना चाहिए। अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को प्रत्येक सहयोगी संस्थान में कम से कम एक सेमेस्टर बिताना होगा। तथापि, भागीदार संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ढांचे का अनुपालन करते हुए छात्रों को एक शोध प्रबंध भी जमा करना होगा।

3.2.7. कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू, शुल्क (विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों सहित) को प्रवेश के समय सार्वजनिक किया जाएगा। शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो तथा यह किफायती हो।

3.2.8 प्रत्येक संस्थान अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिलेख जारी करेगा, जिसमें यह टिप्पणी होगी कि छात्र ने भागीदार संस्थान में कुछ मॉड्यूल, जहां कहीं लागू हों, किए हैं।

3.2.9. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान, उन छात्रों के लिए निकास मार्ग की व्यवस्था करेंगे जो छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिटों' की भावी संस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट विनिर्देशों के साथ युगल कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

3.2.10. संयुक्त उपाधि कार्यक्रम की पेशकश से संबंधित अन्य सभी उपबंध भागीदार संस्थानों द्वारा आपस में निर्धारित किए जाएंगे जोकि संबंधित संस्थान और देश के संबंधित नियमों, विनियमों और विधियों के अनुरूप होंगे।

3.3. दोहरी उपाधि कार्यक्रम

3.3.1. "दोहरी उपाधि कार्यक्रम" भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा समान विधा/ विषय क्षेत्रों तथा उसी स्तर पर संयुक्त रूप से तैयार और पेशकश किए जाएंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उपाधियां, भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा दोनों संस्थानों की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं पर खरा उतरने पर अलग-अलग और एक ही समय, प्रदान की जाएंगी। इसे किसी भी प्रकार से पृथक विधाओं/ विषय क्षेत्रों और/ अथवा स्तरों पर एक साथ किए जा रहे दो उपाधि कार्यक्रम नहीं माना जाएगा।

3.3.2. दोहरी उपाधि कार्यक्रम के अंतर्गत, किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा पेशकश की जाने वाली उपाधि, वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) में विनिर्दिष्ट उपाधि के नाम और अवधि के अनुरूप होनी चाहिए और इस प्रकार की उपाधि कार्यक्रम की पेशकश करने हेतु न्यूनतम पात्रता और अन्य मानदंड और मानकों के अनुरूप भी होनी चाहिए।

3.3.3. भावी छात्रों को भारतीय और विदेशी, दोनों उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा और उसे दोनों संस्थानों में अलग-अलग आवेदन करना होगा और दोनों संस्थानों में अलग-अलग प्रवेश प्राप्त करना होगा।

3.3.4. छात्रों को भारतीय संस्थान से कुल 'क्रेडिट' का कम से कम 30 प्रतिशत अर्जित करना होगा। भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थान से अर्जित किए जाने वाले 'क्रेडिट' और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

3.3.5 किसी संस्थान में पाठ्यक्रम(मों) के लिए अर्जित 'क्रेडिट' को दोनों संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों हेतु गिना जाएगा।

3.3.6. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' अतिव्यापी पाठ्यक्रम विषयवस्तु/ पाठ्यचर्या से नहीं होंगे; और जिस संस्थान में छात्र उक्त पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्र केवल एक परीक्षा देगा और मूल्यांकन प्रणाली से गुजरेगा।

3.3.7. डॉक्टोरल उपाधि कार्यक्रम के मामले में, प्रत्येक संस्थान में एक छात्रों के लिए शोध पर्यवेक्षक होना चाहिए। अध्ययन कार्यक्रम के दौरान छात्रों को प्रत्येक सहयोगी संस्थान में कम से कम एक सेमेस्टर बिताना होगा। तथापि, भागीदार संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ढांचे का अनुपालन करते हुए छात्रों को एक शोध प्रबंध भी जमा करना होगा।

3.3.8. कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू, शुल्क (विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों सहित) को प्रवेश के समय सार्वजनिक किया जाएगा। शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो तथा यह किफायती हो।

3.3.9. प्रत्येक संस्थान अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिलेख जारी करेगा, जिसमें यह टिप्पणी होगी कि छात्र ने भागीदार संस्थान में कुछ मॉड्यूल किए हैं।

3.3.10. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान, उन छात्रों के लिए निकास मार्ग की व्यवस्था करेंगे जो छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिटों' की भावी संस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट विनिर्देशों के साथ युगल कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

3.3.11. दोहरी उपाधि कार्यक्रम की पेशकश से संबंधित अन्य सभी उपबंध सहभागी संस्थानों द्वारा अपने संबंधित संस्थान और देश के संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के अनुरूप पारस्परिक रूप से तय किए जाएंगे।

4. सहयोग हेतु शर्तें:-

4.1. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, किसी भी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान के साथ शैक्षिक सहयोग के लिए अपने उपयुक्त प्राधिकारी, जैसे शासी बोर्ड/ प्रबंधन बोर्ड/ सिंडिकेट/ कार्यकारी परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

4.2. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, तकनीकी, चिकित्सा, विधि, कृषि और ऐसे अन्य पेशेवर कार्यक्रमों में सहयोग करने से पूर्व संगत सांविधिक परिषदों/ निकायों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

4.3. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, विशिष्ट देशों के साथ सहयोग के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विहित मानदंडों का अनुपालन करेंगे।

4.4. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कार्यशाला सुविधाओं सहित शैक्षिक अवसंरचना, संगत पेशेवर सांविधिक परिषदों/निकायों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

4.5. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान को सहयोग हेतु अपने सहयोगी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) के साथ एक लिखित समझौता ज्ञापन अथवा करार करना होगा। समझौता ज्ञापन अथवा करार में सहयोग के प्रयोजन और संबंधित उपबंधों का विवरण स्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए।

4.6. सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के तहत शैक्षिक अपेक्षाओं तथा पेशकश किए जाने वाले अध्ययन कार्यक्रम(मों) के अन्य विवरणों को ऐसे कार्यक्रमों के आरंभ होने से पूर्व भारतीय और विदेशी, दोनों उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वेबसाइटों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करके सार्वजनिक किया जाएगा।

4.7. जहां कहीं भी विदेशी मुद्रा का लेन-देन शामिल हो, उच्चतर शिक्षा संस्थान (भारतीय और विदेशी), समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी संगत विनियमों, मानदंडों, अधिसूचनाओं और अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

4.8. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि अध्ययन कार्यक्रम(मों) और/ अथवा पेशकश किए जाने वाले शोध कार्यक्रम, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध नहीं है।

4.9. संबंधित संस्थान, इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करेंगे और भारत सरकार और समय-समय पर संबंधित सांविधिक निकाय(यों) द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य शर्त(र्तों) का भी अनुपालन करेंगे।

5. पात्रता:

भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान, इन विनियमों के तहत युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र होंगे बशर्ते वे निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों: -

5.1. उपर्युक्त बिंदु 2.11 में उल्लिखित कोई भी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) अथवा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त है और आवेदन करते समय 4-प्वाईंट स्केल पर न्यूनतम 3.01 अंक प्राप्तकर्ता है।

अथवा

जो आवेदन करते समय 'टाइम्स हॉयर एजुकेशन' अथवा 'क्यू.एस.वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' के शीर्षस्थ 1000 संस्थानों में स्थान रखता हो;

अथवा

जो आवेदन करते समय 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' (एनआईआरएफ) की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्षस्थ 100 संस्थानों में स्थान रखता हो;

5.2. जैसा कि उपर्युक्त बिंदु 2.9 में उल्लिखित है, कोई भी ऐसा विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो आवेदन करते समय 'टाइम्स हायर एजुकेशन' अथवा 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' के शीर्षस्थ 1000 संस्थानों में स्थान रखता हो;

6. अंतर्राष्ट्रीय मामला संबंधी कार्यालय:-

सहयोगी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय होगा जो एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा और सभी सहयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें असीमित रूप से निम्नवत शामिल हैं:

6.1. विनियामक/सांविधिक निकायों के साथ संपर्क करना;

6.2. विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत सभी छात्रों के लिए समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करना;

6.3. सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करना;

6.4. अभिलेखों का रखरखाव करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित जानकारी का प्रसार करना;

6.5. विदेशी छात्रों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना और विदेशी छात्रों का स्वागत करने और उन्हें सहायता प्रदान करने से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करना;

6.6. विदेशों में प्रचार संबंधी क्रियाकलापों और 'ब्रांड' तैयार करने के अभियान में जुटना;

6.7. शैक्षिक सहयोग से संबंधित जानकारी को उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना और जब कभी भी ऐसी जानकारी मांगी जाए, उसे आयोग को उपलब्ध कराना।

6.8. इन विनियमों के तहत पेशकश किए गए कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले भारतीय और विदेशी छात्र, दोनों की शिकायतों को दूर करना।

7. विविध शर्तें:-

7.1 इन विनियमों के तहत प्रदान की गई उपाधि, निम्नवत विनिर्दिष्टताओं के साथ, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी समवर्ती उपाधि के समकक्ष होगी: (i) किसी भी प्राधिकरण से समकक्षता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी; और (ii) प्रदत्त उपाधि में, साधारणतया, किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि से जुड़े सभी लाभ, अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

7.2. इन विनियमों के तहत पेशकश किए जाने वाले कार्यक्रमों को ऑनलाइन और ओ.डी.एल. पद्धति से आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.3. इन विनियमों के तहत किसी भी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान और भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान के बीच, गुप्त रूप से अथवा प्रकट रूप से, अथवा किसी भी नाम से, कोई 'फ्रेंचाईजी' व्यवस्था/ अध्ययन केन्द्र चलाने की अनुमति नहीं होगी।

7.4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कोई समविश्वविद्यालय संस्थान मौजूदा समविश्वविद्यालय विनियमों के अनुरूप तथा इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए शैक्षिक सहयोग करेगा।

7.5. सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन/ करार में छात्र संबंधी दायित्व, शुल्क और अन्य वित्तीय व्यवस्थाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार, छात्रों की उपस्थिति संबंधी पैटर्न, दोनों उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहने की अवधि, संयुक्त पर्यवेक्षण व्यवस्था, शोध प्रबंध की भाषा और परीक्षाएं, प्रवेश तथा मूल्यांकन प्रक्रिया और स्नातक प्रक्रिया, जहां कहीं भी लागू हो, से संबंधित उपबंध शामिल होंगे।

7.6. सहयोग से जुड़े विधिक मामलों सहित छात्रों की शिकायतों से संबंधित मामलों का निपटान शैक्षिक सहयोग करने वाले भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाएगा।

7.7. निगरानी अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से की जाएगी।

7.8. सहयोगी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, आयोग को समय-समय पर शैक्षणिक सहयोग के संबंध में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगा।

8. उल्लंघन किए जाने की स्थिति में परिणाम:-

8.1. यदि यह पाया जाता है कि संबंधित भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान ने इन विनियमों का उल्लंघन किया है, तो आयोग अधिनियम की धारा 14 के तहत यथा उपबंधित, कार्रवाई करेगा और अपनी वेबसाइट तथा मीडिया के माध्यम से भी सूचित करेगा कि उक्त सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत पेशकश किए जाने वाले अथवा चलाए जा रहे यह कार्यक्रम(मों) इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं।

8.2. आयोग, इन विनियमों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) के विरुद्ध यथा विहित आगे की कार्रवाई भी कर सकता है।

9. निवर्चन:-

9.1. इन विनियमों के निवर्चन के संबंध में किसी भी प्रश्न पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा और इस मामले में उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9.2. भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, भारतीय विधि द्वारा अभिनिर्णित होगा।

10. कठिनाई दूर करने की शक्ति:-

10.1. यदि इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने अथवा प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, कठिनाई को दूर करने के लिए जैसा आवश्यक और उचित प्रतीत हो, भारत के राजपत्र में एक आदेश प्रकाशित कर वि०अ०आ० अधिनियम, 1956 अथवा इन विनियमों के उपबंधों से असंगत उपबंधों का लोप करने उपबंध कर सकता है।

बशर्ते कि इन विनियमों के लागू होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद आयोग द्वारा इस उपबंध के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./57/2022-23]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

F. No. 4-1/2022(IC).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 and in supersession of the University Grants Commission (Promotion & Maintenance of Standards of Academic Collaboration between Indian and Foreign Educational Institutions) Regulations, 2016 notified vide Gazette Notification dated 11.07.2016, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely:-

1. Short title, application and commencement: -

1.1. These Regulations may be called the University Grants Commission (Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022 (hereafter referred to as the Regulations).

1.2. These regulations lay down the minimum standards for academic collaboration between Indian Higher Educational Institutions and foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes.

1.3. These Regulations shall apply to-

1.3.1. Indian Higher Educational Institutions intending to collaborate with Foreign Higher Educational Institutions leading to award of degree(s); and

1.3.2. Foreign Higher Educational Institutions intending to collaborate with Indian Higher Educational Institutions.

1.4. These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: -

2.1. "Act" means the University Grants Commission Act, 1956, as amended from time to time;

2.2. "Academic Collaboration" means academic partnership between Indian Higher Educational Institution(s) and Foreign Higher Educational Institution(s), put into place through an instrument of written Agreement for the purposes of

2.2.1. Twinning Programme

2.2.2. Joint Degree Programme;

2.2.3. Dual Degree Programme;

2.3. "Assessment and Accreditation Agency", in respect of a Foreign Higher Educational Institution, means an agency or body approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country or member of global network of accreditation bodies for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of Higher Educational Institutions;

2.4. "Assessment and Accreditation Agency", in respect of an Indian Higher Educational Institution, means an agency recognized under the University Grants Commission (Recognition and monitoring of Assessment and Accreditation Agencies) Regulations, 2014;

2.5. "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of

the Act;

2.6. "Conventional mode" means a mode of providing learning opportunities through face-to-face interaction between the teacher and learner in regular class room environment but does not exclude supplementary instructions if any for the learner through use of online;

2.7. "Credit Recognition and Transfer" shall mean 'Credit' conferred by a Foreign Higher Educational Institution to be recognised, quantified and included towards the credit requirements for a programme delivered by an Indian Higher Educational Institution solely or jointly with a Foreign Higher Educational Institution and vice versa;

2.8. "Degree" means a degree awarded by an Indian Higher Educational Institution in accordance with the provisions of the section 22 of the UGC Act and a Degree awarded by a Foreign Higher Education Institution in accordance with the relevant rules and regulation of respective foreign country;

2.9. "Foreign Higher Educational Institution" means a Higher Educational Institution duly established or incorporated or recognised in a foreign country and offering academic and research programmes at the undergraduate and/or higher levels;

2.10. "Franchising" for the purpose of these regulations, means and includes the practice of allowing, formally or informally, any person or institution or organisation, other than the Higher Educational Institution recognised under these regulations for offering Twinning, Joint and Dual Degree programmes or any related activity on behalf of or in the name of the recognised Higher Educational Institution, and the terms "franchise" and "franchisee" shall be construed accordingly.

2.11. "Indian Higher Educational Institution" means a university within the meaning of Section 2(f) or an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act, 1956;

2.12. "Programme" means educational programmes leading to award of Degree(s) including Post graduate and Doctoral programmes;

2.13. "Statutory Body" means a body established or incorporated by or under a Central Act to regulate, coordinate, determine and maintain standards of teaching, examination and research in universities or programme(s) of study, including professional programme(s) leading to the award of degree(s);

3. Provisions of Collaboration: -

Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions under these Regulations shall facilitate the following academic activities: -

3.1. Twinning Programme

3.1.1. "Twinning Programme" shall be a collaborative arrangement whereby students enrolled with an Indian Higher Educational Institution may undertake their programme of study partly in India, complying with relevant UGC Regulations, and partly in the Foreign Higher Educational Institution.

3.1.2. The degree offered under such twinning programmes shall be awarded by the Indian Higher Educational Institution only.

3.1.3. Under twinning programme, credits earned by the students at a Foreign Higher Educational Institution shall be counted towards the degree awarded by the Indian Higher Educational Institution. However, credits earned by the student from the Foreign Higher Educational Institution shall not exceed 30 per cent of the total credits for the

programme.

3.1.4. Credits to be earned by the Indian students from the foreign institution and credits earned by the foreign students from Indian institutions shall be obtained through conventional mode.

3.1.5. Each institution shall issue a transcript for their respective courses, with a remark indicating that the student has taken certain modules at the partner institution, wherever applicable.

3.1.6. The Indian Higher Educational Institution shall ensure that the credits earned by the students from the Foreign Higher Educational Institution shall not be from overlapping course contents/curriculum.

3.1.7. Fees as applicable for the entire duration of the programme (including courses imparted by the Foreign Higher Educational Institution) shall be made public at the time of admission. Fee structure should be reasonable so as to make quality Higher Education accessible and affordable to all sections of the society.

3.1.8. Any degree to be awarded under such twinning programme must be in conformity with the provisions of section 22 (3) of the UGC Act, 1956 and shall also be in conformity with the norms, standards and requirement for award of such degree, as laid down by the statutory authority concerned.

3.1.9. The collaborating Higher Educational Institutions shall make provisions for exit pathways for students who are unable to complete the Twinning programme with clear specification with respect to future acceptance of credits earned by the students.

3.2. Joint Degree Programme

3.2.1. For a "Joint Degree programme", the curriculum shall be designed jointly by the collaborating Indian and Foreign Higher Educational Institutions and, upon completion of the programme, the Degree is awarded by the Indian Higher Educational Institution and the collaborating Foreign Higher Educational Institution with a single Certificate.

3.2.2. Any Joint degree programme to be offered shall conform to the nomenclature and duration of the degrees as specified in section 22 (3) of the UGC Act, 1956 and shall also conform to minimum eligibility and other norms and standards to offer such degree programme.

3.2.3. The students must earn at least 30 per cent of the total credits from each of the Indian and Foreign Higher Educational Institutions. Credits to be earned by the Indian students from the foreign institution and credits earned by the foreign students from Indian institutions shall be obtained through conventional mode.

3.2.4. Credits earned for the course(s) in an institution shall count towards the degrees jointly awarded by both the institutions.

3.2.5. The collaborating Higher Educational Institutions shall ensure that the credits earned by the students shall not be from overlapping course contents/curriculum and the student shall submit to only one examination and evaluation process for each of the courses by the institutions in which he/she has registered for that course.

3.2.6. In case of a doctoral degree programme, students must have a supervisor at each institution. The student shall spend a minimum of one semester in each of the collaborating institutions during the study programme. However, the student shall submit a single thesis adhering to a framework jointly devised by the participating

institutions.

3.2.7. Fees as applicable for the entire duration of the programme (including courses imparted by the Foreign Higher Educational Institution) shall be made public at the time of admission. Fee structure should be reasonable so as to make quality Higher Education accessible and affordable to all sections of the society.

3.2.8. Each Higher Educational Institution shall issue a transcript for their respective courses, with a remark indicating that the student has taken certain modules at the partner institution.

3.2.9. The collaborating Higher Educational Institutions shall make provisions for exit pathways for students who are unable to complete the Joint Degree programme with clear specification with respect to future acceptance of credits earned by the students.

3.2.10. All other provisions related to offering of Joint Degree Programme shall be decided mutually by the participating institutions conforming to the respective rules, regulations and laws of their respective institution and country.

3.3. Dual Degree Programme

3.3.1. "Dual Degree Programme" shall be a programme jointly designed and offered by the Indian and Foreign Higher Educational Institutions in the same disciplines/subject areas and in the same level. The degrees for such programme shall be conferred by the Indian and Foreign Higher Educational Institutions, separately and simultaneously, upon completion of degree requirements of both the institutions. This shall not in any way be construed as two degree programmes in separate disciplines/subject areas and/or levels being pursued simultaneously.

3.3.2. Under the Dual degree programme, the degrees to be offered by an Indian Higher Educational Institution shall conform to the nomenclature and duration of the degrees as specified in section 22 (3) of the UGC Act, 1956 and shall also conform to minimum eligibility and other norms and standards to offer such degree programme.

3.3.3. Prospective students must meet the admission requirements of both the Indian and Foreign Higher Educational Institutions and shall apply to and be admitted separately to both the institutions.

3.3.4. The students must earn at least 30 percent of total credits from the Indian institution. Credits to be earned by the Indian students from the foreign institution and credits earned by the foreign students from Indian institutions shall be obtained through conventional mode.

3.3.5. Credit earned for the course(s) in an institution shall count towards degrees to be awarded by both the institutions.

3.3.6. The collaborating Higher Educational Institutions shall ensure that the credits earned by the students shall not be from overlapping course contents/curriculum; and the student shall submit to only one examination and evaluation process for each of the courses by the institutions in which he/she has registered for that course.

3.3.7. In case of a doctoral degree programme, students must have a supervisor at each institution. The student shall spend a minimum of one semester in each of the collaborating institutions during the study programme. However, the student shall submit a single thesis adhering to a framework jointly devised by the participating institutions.

3.3.8. Fees as applicable for the entire duration of the programme (including courses imparted by the Foreign Higher Educational Institution) shall be made public at the time of admission. Fee structure should be reasonable so as to make quality Higher Education accessible and affordable to all sections of the society.

3.3.9. Each of the Higher Educational Institutions concerned shall issue a transcript for its respective courses, with a remark indicating that the student has taken certain modules at the partner institution.

3.3.10. The collaborating Higher Educational Institutions shall make provisions for exit pathways for students who are unable to complete the Dual Degree programme with clear specification with respect to future acceptance of credits earned by the students.

3.3.11. All other provisions related to offering of Dual Degree Programme shall be decided mutually by the participating institutions conforming to the respective rules, regulations and laws of their respective institution and country.

4. Conditions for Collaboration: -

4.1. The Indian Higher Educational Institutions shall obtain the approval of its appropriate authority, like Board of Governors/Board of Management/Syndicate/Executive Council for academic collaboration with any Foreign Higher Educational Institution.

4.2. Indian Higher Educational Institutions shall seek necessary approval from the relevant Statutory Councils/ Bodies before entering into collaboration in technical, medical, legal, agricultural and such other professional programmes.

4.3. The Indian Higher Educational Institutions shall abide by the norms prescribed by the Government of India from time to time for collaboration with specific countries.

4.4. Academic infrastructure, including laboratory, library and workshop facilities of the Indian Higher Educational Institutions shall meet the requirements of the relevant professional Statutory Councils/ Bodies.

4.5. The Indian Higher Educational Institution shall have to enter into a written Memorandum of Understanding or Agreement with its partner Foreign Higher Educational Institution(s) for collaboration. The MoU or Agreement must categorically include the purposes and related provisions of collaboration.

4.6. The academic requirements and other details of the programme(s) of study to be offered under collaborative arrangements shall be made public by displaying prominently in the websites of both Indian and Foreign Higher Educational Institutions, before the commencement of such programmes.

4.7. Wherever foreign exchange is involved, the Higher Educational Institutions (Indian and foreign), shall abide by and comply with the relevant regulations, norms, notifications and instructions issued by the Reserve Bank of India and Government of India from time to time.

4.8. The Indian Higher Educational Institution shall ensure that the programme(s) of study and/or research offered is not against the national security and territorial integrity of India.

4.9. The Institutions concerned shall comply with all the provisions of these Regulations and also abide by any other condition(s) specified by the Government of India and Statutory Body (ies) concerned from time to time.

5. Eligibility:

The Indian and Foreign Higher Educational Institutions shall be eligible to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree programmes under these regulations provided they fulfil the following eligibility criteria: -

5.1. Any Indian Higher Educational Institution as mentioned in 2.11 which is accredited by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) or any other Agency authorised in this behalf, with a minimum score of 3.01 on a 4-point scale at the time of application;

or

which figures in the top 1000 of Times Higher Education or QS World University ranking at the time of application;

or

which figures in the top 100 in university category of National Institutional Ranking Framework (NIRF) at the time of application;

5.2. Any Foreign Higher Educational Institution as mentioned in 2.9 figuring in top 1000 of Times Higher Education or QS World University ranking at the time of application.

6. Office for International Affairs: -

The Collaborating Indian Higher Educational Institution shall have an office for International Affairs which shall function as single point of contact, and shall be responsible for carrying out all collaborative activities including, but not limited to:

6.1. Liaising with regulatory/statutory bodies;

6.2. Working as coordinating agency for all students registered under collaborative arrangements with Foreign Higher Educational Institutions;

6.3. Addressing matters related to Indian students proceeding abroad to Foreign Higher Educational Institutions under collaborative arrangements;

6.4. Maintaining records and disseminate information related to international collaborations;

6.5. Working as the nodal agency for foreign students and coordinate all matters relating to welcoming and supporting foreign students;

6.6. Engaging in promotional activities and brand building campaign abroad;

6.7. Making information relating to academic collaboration available on the Higher Educational Institution’s website and provide the same to Commission whenever asked for.

6.8. Addressing the grievances of students, both Indian and foreign, who take admission in programmes offered under these Regulations.

7. Miscellaneous conditions: -

7.1. The Degree awarded under these Regulations shall be equivalent to any corresponding degree awarded by the Indian Higher Educational Institution with the following stipulations: (i) there shall be no further requirement of seeking equivalence from any authority; and (ii) the degree shall have all benefits, rights and privileges as obtaining in the case of degree, awarded by an Indian Higher Educational Institution ordinarily.

7.2. The programmes offered under these Regulations shall not be allowed in online and ODL mode.

7.3. No franchise arrangement/Study Centre, whether overtly or covertly, by whatever nomenclature

used, between a Foreign Higher Educational Institution and an Indian Higher Educational Institution shall be allowed under these Regulations.

7.4. An Institution Deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 shall enter into academic collaboration in accordance with the extant Deemed to be University Regulations and also in compliance with the provisions of these Regulations.

7.5. The MoU/Agreement for collaboration shall include provisions related to student obligations, fees and other financial arrangements, intellectual property rights, student's attendance patterns, duration of stay for the study programme in both the Higher Educational Institutions, joint supervision arrangements, language of thesis and examinations, admission and evaluation process and graduation procedures, wherever applicable.

7.6. Matters relating to the grievances of students, including legal matters relating to the collaboration shall be addressed by the Indian Higher Educational Institution entering into academic collaboration.

7.7. The monitoring shall be done through mandatory public disclosure.

7.8. The collaborating Indian Higher Educational Institution shall furnish information regarding the academic collaboration, as required by the Commission from time to time.

8. Consequence of violations: -

8.1. If the Indian Higher Educational Institution concerned is found to have violated these Regulations, the Commission shall take action as provided under section 14 of the Act and shall also notify on its website and also through media that the programme(s) offered or conducted through the said collaborative arrangements are not in conformity with these Regulations.

8.2. The Commission may also take further action as prescribed against Indian Higher Educational Institution(s) for violating these Regulations.

9. Interpretation: -

9.1. Any question as to the interpretation of these Regulations shall be decided by the Commission and its decision shall be final and binding in the matter.

9.2. Any dispute arising in relation to collaborative arrangement between Indian and Foreign Higher Educational Institution(s) shall be governed by the Indian law.

10. Power to remove difficulty:-

10.1. If any difficulty arises in implementation or in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may by an order published in the official gazette make provisions, not inconsistent with the provisions of the UGC Act, 1956 or these Regulations, as may appeared to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no order under this provision shall be made by the Commission after the expiry of a period of two years from the date of coming into force of these Regulations.

Prof. RAJNISH JAIN**,** Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./57/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.05 17:47:04 +05'30'